राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प 9(17)/शिक्षा–5/भवन परिवर्तन/2018 जयपुर, दिनांकः 16.09.2019

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषय :– गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता नियमों के अन्तर्गत भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के दिशा–निर्देशों के संबंध में।
सन्दर्भ :– आपका पत्र शिविरा/माध्य/पीएसपी–सी/60566/अ–2/ 2019–20 दिनांक 08.07.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता नियमों के अन्तर्गत भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

क– किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये प्रति परिवर्तन शुल्क

1. प्राथमिक विद्यालय स्तर पर– 10,000 रूपये उच्च प्राथमिक स्तर पर – 20,000 रूपये माध्यमिक विद्यालय स्तर पर – 40,000 रूपये एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर– 50,000 रूपये जमा कराना होगा।
2. किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए औचित्य सहित प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।
3. किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए शिक्षक अभिभावक परिषद् की सहमति आवश्यक होगी।
4. किसी भी परिवर्तन के लिए पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृती प्राप्त करनी होगी।
5. किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रतिवर्ष केवल मई/जून माह में ही किया जावेगा।
6. किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए विभाग बाध्य नही होगा।

ख– विद्यालय स्थान परिवर्तन की आवश्यक शर्तें:–

1. विद्यालय का वर्तमान भवन स्वयं का होने पर भवन परिवर्तन की स्वीकृति नही दी जावेगी।
2. प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के मध्य में ही 1 किलोमीटर एवं 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान परिवर्तन के प्रस्तावों पर विद्यालय में आरटीई के तहत अध्ययनरत बालकों की 8वीं कक्षा तक के शुल्क को राजकोष में जमा कराने पर स्थान परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उदाहरणतः विद्यालय के आरटीई नियमों के तहत निर्धारित किलोमीटर से अधिक के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विद्यालय में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों की 8वीं तक शैक्षिक अवधि के यूनिट कॉस्ट (स्थान परिवर्तन के वर्ष में निर्धारित यूनिट कॉस्ट) की राशि राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

अथवा

आरटीई नियमों के मापदण्डों से अधिक दूरी के 05 किलोमीटर तक के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के आवागमन की, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक 10,000 एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक 20,000 रूपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क की राशि राजकोष में जमा कराने के उपरान्त स्वीकृति दी जावे।

3. विद्यालय भवन के परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही विद्यालय का भवन निर्मित किया जा सकेगा।
4. किराये के भवन को रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करने पर भवन परिवर्तन की स्वीकृति दी जावेगी।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता अथवा उससे उच्च स्तर के अभियन्ता से ही नये भवन का प्रमाणित ब्ल्यू प्रिन्ट और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिए नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।

16/09/19

Scanned by CamScanner

ग– नाम परिवर्तन की आवश्यक शर्तें:–

1. विद्यालय का नाम परिवर्तन करने योग्य होने पर ही स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
2. किसी भी स्थानीय विद्यालय के नाम पर अथवा उससे मिलता–जुलता नाम रखने की स्वीकृति नही दी जावेगी।

घ– वर्ग परिवर्तन की आवश्यक शर्तें:–

1. छात्र विद्यालय को सहशिक्षा विद्यालय में परिवर्तन की स्वीकृति निर्धारित राशि जमा कराने पर दी जा सकेगी।
2. छात्रा विद्यालय को सहशिक्षा में परिवर्तन करने पर निर्धारित राशि के अतिरिक्त 50,000 रूपये जमा कराने पर स्वीकृति दी जा सकेगी।

ड– माध्यम परिवर्तन की आवश्यक शर्तें:–

1. विद्यालय के माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जा सकेगी।
2. विद्यालय एक समय में किसी एक बोर्ड की सम्बद्धता से ही संचालित किया जा सकेगा। यदि किसी दूसरे बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त की जाती है तो पूर्व बोर्ड से प्राप्त सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा गैर सरकारी शिक्षण संस्था की सम्बद्धता जारी करने वाले आदेशों में यह स्पष्ट इंगित करे कि राजस्थान बोर्ड की सम्बद्धता के अतिरिक्त सीबीएसई अथवा किसी अन्य बोर्ड के सम्बद्धता प्राप्त करने पर राजस्थान बोर्ड की सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

1. राज्य सरकार द्वारा आरक्षित कोष (बालिका शिक्षा फाउण्डेशन) के लिये गैर सरकारी शिक्षण संस्था की नवीन मान्यता निर्धारित राशि तय समयावधि में जमा ना कराये जाने की स्थिति में प्रति 30 दिवस के अन्तराल में 25,000 रूपये विलम्ब शुल्क की राशि मूल राशि में सम्मिलित कर डिमाण्ड ड्राफ्ट से राजकोष में जमा करवाने पर प्रकरण नियमित किया जायेगा। (शैक्षिक सत्र 2019–20 तक के लम्बित प्रकरणों में 10000 प्रति 30 दिवस के अन्तराल में विलम्ब शुल्क देय होगा।)
2. इसी प्रकार आरक्षित कोष की राशि का भी निर्धारित अवधि में जमा ना कराये जाने की स्थिति में प्रति 30 दिवस के अन्तराल में 25,000 रूपये विलम्ब शुल्क राजकोष में डिमाण्ड ड्राफ्ट से राजकोष में जमा करवाने पर प्रकरण नियमित किया जायेगा। (शैक्षिक सत्र 2019–20 तक के लम्बित प्रकरणों में 10000 प्रति 30 दिवस के अन्तराल में विलम्ब शुल्क देय होगा।)
3. विद्यालय यदि दो पारी में संचालित किया जाता है तो समुचित प्रस्तावानुसार शासन स्तर से अनुमोदनपरांत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक 1,00,000 (एक लाख) रूपये एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक 3,00,000 (तीन लाख) रूपये जमा करवाने पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वर्तमान में चल रहे दो पारी शिक्षण संस्थाओं से तीन माह में उक्त शुल्क वसूल किया जाये। विलम्ब करने पर 10000 रूपये प्रति 30 दिवस के शास्ति शुल्क वसूल किया जाये।
4. शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में निर्धारित तय समयसीमा के बाद गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के विलम्ब से किसी भी प्रकार के आवेदन करने की दिनांक तक विलम्ब अवधि कहलायी जायेगी।
5. उक्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों का निस्तारण शासन स्तर से अनुमोदन उपरांत नियमितीकरण किये जा सकेंगें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(महेश कुमार गेरयानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :– सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को भेजकर निवेदन है कि बिन्दु संख्या– 'ड' के बिन्दु संख्या 2 व 3 की पालना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner